

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
जौनपुर ।

सेवामें,

प्रबन्धक

लार्ड बुद्धा नेशनल पब्लिक स्कूल  
सरायबीका मछलीशहर जौनपुर

पत्रांक/मान्यता/

1630-33

/2017-18 दिनांक 30.5.17

विषय:-नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उप नियम (4) के अधीन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय,

जांच अधिकारी/सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी की आख्या/संस्तुति तथा मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पंचम मण्डल वाराणसी के अनुमोदनोपरान्त उ0प्र0 शासन, लखनऊ शिक्षा अनुभाग-6 आदेश संख्या-419/76-6-2013-18 (20)91 दिनांक 08 मई 2013 के द्वारा गठित समिति के निर्णय दिनांक 20.05.2107 के अनुक्रम में आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चावर्ती पत्राचार/निर्णय के प्रति निर्देश से लार्ड बुद्धा नेशनल पब्लिक स्कूल सरायबीका मछलीशहर जौनपुर को 30.05.2017 से 29.05.2020 तक 03 वर्ष की अवधि के लिए नर्सरी से कक्षा 08 तक के लिए अनन्तितम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है -

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 08 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और नि:शुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपाबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 01 में (या यथा स्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय की अधिनियम की धारा 12 की उपधारा(2) उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरितिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों को पालन करेगा, विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
  - (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
  - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
  - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
  - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
  - (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार नि:शक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
  - (vi) अध्यापको की भर्ती की अधिनियम की धारा 23 (1) अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और की विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताये नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताये अर्जित करेंगे।
  - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
  - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन-क्रिया कलापो में नियोजित नहीं करेगा।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानको और सुनियमों को बनाये रखेगा अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाये निम्नानुसार है-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल।

PRINCIPAL

Lord Buddha National Public School  
Sarai Bika, Jaunpur

Jawahar Navodaya Vidyalaya  
Tewari, Kausambi,  
Uttar Pradesh-212207

Manager  
Lord Buddha National Public School  
Sarai Bika, Jaunpur

कुल निर्मित क्षेत्र।  
 क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल।  
 कक्षाओं की संख्या।  
 प्राध्यापक-सह कार्यालय, सह भंडारागार के लिए कक्ष।  
 बालको और बालिकाओं के पृथक शौचालय।  
 पेयजल सुविधा।  
 मीड-डे-मील पकाने के लिए रसोई।  
 बाधा रहित पहुँच।

अध्यापन पठन सामाग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जायेंगी।
10. विद्यालय भवनो या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास योजनाओं के प्रयोजनों लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 को 21)के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी बिधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह का संगम किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चाटर्ड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और इसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आप के विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक x है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के लिए अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किया जायेगा।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
17. संलग्न उपबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
18. मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रबन्ध तन्त्र द्वारा प्रस्तुत पत्रजात /अभिलेख किसी भी स्तर पर कूट रचित अथवा फर्जी अथवा दूषित पाये जाने पर नियमानुसार मान्यता प्रत्याहृत करने की कार्यवाही की जायेगी।
19. विद्यालय संचालन में आने वाला व्यय विद्यालय प्रबन्ध तंत्र द्वारा अपने निजी स्रोतों से वहन किया जायेगा।

भवदीय

*Shuman Singh*

(शिवेन्द्र प्रताप सिंह)  
 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
 जौनपुर।

पृ0सं0/मान्यता / 1630.33 /2017-18 दिनांक-उक्तवत।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पंचम मण्डल वाराणसी।
3. खण्ड शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित विकासखण्ड /नगर क्षेत्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप विद्यालय का पुनः निरीक्षण कर ले और पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो ले कि विद्यालय भवन नेशनल विल्डिंग कोड के मानक के अनुसार निर्मित है। और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विद्यालय भवन के नेशनल विल्डिंग कोड के अनुसार निर्मित होने का प्रमाण पत्र के निर्गत होने की पुष्टि कर ले, विद्यालय में स्थापित अग्निशमन यंत्र क्रियाशील तथा शासनादेश दिनांक 8.05.2013 के द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति करता है, अन्यथा कि स्थिति में एक सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।
4. कार्यालय प्रति।

*Principa*

**PRINCIPAL**  
 Lord Buddha National Public School  
 Sarai Bika, Jaunpur

*Principal*  
 Jawahar Vidyalaya  
 Tewa, Kaushambi,  
 Uttar Pradesh-212207

*Principal*  
 केन्द्रीय विद्यालय  
 Kendriya Vidyalaya  
 सी.आर.पी.एफ. इलाहाबाद  
 CRPF, Allahabad

(शिवेन्द्र प्रताप सिंह)  
 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
 जौनपुर।

*Manager*

**Manager**  
 Lord Buddha National Public School  
 Sarai Bika, Jaunpur